(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 100/2023

पंजीकरण संख्या :– 2023/219

बउनवान

लटूर आयु 80 वर्ष पुत्र पांचीलाल जाति चमार निवासी गोडिया मेहर तहसील छबडा जिला बाराँ (अपीलांट)

बनाम

मुन्नाशाह उर्फ बुन्नाशाह आयु 58 वर्ष पुत्र चिरागशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी फकीरो का मोहल्ला छबडा तहसील छबडा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 01/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 13.07.2023 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 28.03.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 01/2022 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान लटूर बनाम मुन्नाशाह मे पारित निर्णय दिनांक 13.07.2023 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्ट के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 23.08.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया ओर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के विरूद्व धारा 183(बी) आर. टी.एक्ट के तहत आवेदन पेश किया था, जिसे दिनांक 13.07.2023 को निर्णित कर आदेश दिया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के निर्णय बाद ही अपीलांट को विवादित आराजी वाके ग्राम छबडा मे स्थित खसरा नम्बर 143 रकबा 1.12 [illegible] नं. 147 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.12 बीघा पर कब्जा दिया जा[illegible] रेस्[illegible] को बेदखल किया जावे। यह आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा मे विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण के उपरांत ही प्रभावी होगा व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा द्वारा दिया गया [illegible] ही स्वीकार्य होगा। जिसकी अप्रसन्नता से अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यो एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नही करने मे भारी भूल की है। यह कि आराजी वाके ग्राम छबडा की खसरा नम्बर 140 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नं. 147 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.12 बीघा कुल 4 किता रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा अपीलांट की खातेदारी मे स्थित है।

उक्त आराजी पर रेस्पो0 ने जबरन असामाजिक तत्वो को साथ मिलाकर अपीलांट के साथ गाली गलोज कर जबरन कब्जा कर रखा है। अपीलांट द्वारा रोकने पर रेस्पो0 लडाई–झगडा करने पर आमादा हो जाता है। अपीलांट अनुसूचित जन जाति का सदस्य है जो धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट मे वर्णित संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा रेस्पो0 को अपने खाते की आराजी से अविलम्ब बेदखल करवा पाने का कानूनन अधिकारी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183(बी) मे वर्णित प्रावधान व उक्त प्रावधानों की मंशा को समझने मे कानूनी भूल की है जबकि धारा 183 (बी) के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगो के हितो मे उनकी सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। धारा 183 (बी) के अधिनियम मे यह कहा गया है कि यह होते हेयु भी कि अधिनियम मे अन्यथा प्रावधीत किया गया है एक अतिक्रमी को जिसने कि बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी अनुसूचित जाति/जन जाति की भूमि पर कब्जा कर लिया या कब्जा कर रखा है तो उसको सरसरी जांच कर बेदखल किया जावेगा। इन परिस्थितियों मे यदि इस सम्बन्ध मे पक्षकारो के बीच किसी विवाद को लेकर कोई नियमित वाद पूर्व मे विचाराधीन भी जो तो धारा 183 (बी) के प्रावधान लागू होगे और अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगो की भूमि अतिक्रमण करने वाले लोगो के विरूद्व सरकारी जांच कर उन्हे बेदखल किया जा सकेगा। उक्त मंशा से ही धारा 183 (बी) को अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगो के हित ते राज0 काश्तकारी अधिनियम मे जोडा गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट की प्रार्थना को स्वीकार करने के साथ ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के द्वारा पारित नियमित वाद के निर्णय से प्रभावशील होने का आदेश अतार्किक व कानूनी विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण मे नामान्तरकरण संख्या 780 दिनांक 15.03.1994 से उक्त भूमि बजरंगलाल पुत्र श्री चून्या, चम्पाबाई पुत्री चून्या व रामनाथी बेवा चून्या जाति कबाडी के नाम जर्ये फोती इंतकाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई, नामान्तरकरण संख्या 805 दिनांक 26.09.1994 से उक्त भूमि नन्दकिशोर उर्फ छीतरलाल पुत्र श्री श्याम लाल जाति धोबी के नाम जरिये बेचाननामा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई, नामान्तरकरण संख्या 1284 दिनांक 23.07.2003 से उक्त भूमि लटूर पुत्र श्री पांचीलाल जाति चमार निवासी गोडियामेहर के नाम जरिये बेचाननामा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Taj Mohammad &ors. Vs. Ambalal Revision TA no. 7585/Chittorgarh of 2014 decided on 6th Oct., 2015 एवं Mahendra Singh Vs. Nirmal Singh &ors. Revision Colo. No. 4479/Hanumangarh of 2005 Decided on 14 th March, 2016 एवं Citation :2016(2) DNJ (Raj.) 734 S.B. Civil Writ Petition No. 286 of 2016, Decided on 27-04-2016 Taj Mohammed &ors. Vs. Board of Revenue, एवं Ajmer &ors. Citation :2016(2) DNJ (Raj.) 739 D.B. Civil Special Appeal (Writ) No. 1081 of 2015, Decided on 16.03.2016 RIICo Vs. LR's of Prem Kishan & ors. प्रस्तुत किए गए।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट को अविलम्ब विवादित आराजी पर मौके पर कब्जा दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौरा[illegible] कहा गया लटूर ने यह वाद धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट का पेश किया है। राजस्थान [illegible] अधिनियम मे धारा 183(बी) के तहत कोई दावा प्रस्तुत किये जाने बाबत [illegible] है। विवादित आराजी से संबंधित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छब[illegible]88, 188 आर.टी.एक्ट बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बउनवान मुन्ना शाह उर्फ बुन्ना शाह [illegible]ाम बजरंगलाल, लटूर वगैराह विचाराधीन है। मुन्ना शाह ने विवादित आराजियात को मिती बैशाख सुदी तीज संवत् 2038 को तत्कालीन खातेदार चून्या पुत्र माधो जाति कबाडी निवासी छबडा से प्रतिफल राशि 99/– रूपये (100/– रूपये से कम जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नही था) मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तब से उपरोक्त आराजियात बतौर क्रेता प्रतिवादी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा नियमानुसार सही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही वाद की कार्यवाही न होकर प्रार्थना पत्र की कार्यवाही है जिसके तहत सरसरी तौर पर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है। पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183(बी) की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं है। धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने पर त्वरित कार्यवाही कर कब्जा दिलवाये जाने का प्रावधान है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 01/2022 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान लटूर बनाम मुन्नाशाह मे पारित निर्णय दिनांक 13.07.2023 न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, छबडा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के प्रावधानों का अध्ययन किया जाकर नियत समयावधि में विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested